SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/08/SFCF/115 **Date:-** 29-08-2025

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,

चौधरी चरण सिंह विवि0,मेरठ।

विषय :– निरुद्ध अंकतालिकाओं के निस्तारण के लिए विवि0 द्वारा जारी पत्र दिनाँक 28 अगस्त 2025 के संदर्भ में।

महोदय,

आप कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या परीक्षा/9792 दिनाँक 28 अगस्त 2025 जो की छात्रों की निरुद्ध अंकतालिकाओं के निस्तारण के लिए संस्थानों को जारी किया गया है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। आपके द्वारा संस्थानों से अपेक्षा की गयी है की वह निरुद्ध अंकतालिकाओं के संदर्भ में वांछित प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए इनकी अंकतालिका निर्गत कराये अन्यथा इनके परीक्षा फॉर्म अग्रिम सेमेस्टर में विवि0 द्वारा नहीं खोले जायेंगे।

आप अवगत हो की फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल ने 31 जनवरी 2025 को माननीय प्रति कुलपति/कार्यवाहक कुलपति प्रा0 मृदुल गुप्ता जी से मुलाकात की थी और उसमे छात्रों की अंकतालिकाओं के समाधान सहित अन्य बिन्दुओ पर भी ज्ञापन दिया था (प्रति सलग्न है)। "फेडरेशन" को खेद के साथ कहना पड़ रहा है की विवि0 ने केवल कागजो में व्यवस्था सही करने के लिए उक्त पत्र को जारी कर दिया और स्थिति धरातल पर आज भी पूर्ववत ही है।

1 – संस्थानों को आज तक छात्रों की मार्कशीट रोकने के कारण नहीं बताये गए है, संस्थान निरुद्ध अंकतालिका के संदर्भ में कैसे सही दस्तावेज विवि0 को उपलब्ध कराये। निरुद्ध सूची कारण सहित उपलब्ध कराये बिना संस्थानों और छात्रों द्वारा सही दस्तावेज उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

2 – विवि0 द्वारा आज तक कॉलेजो के मार्कशीट प्रकरण के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था नहीं की गयी है जो की हमने 31जनवरी 2025 को भी मांग की थी लेकिन आज तक कॉलेजो के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गयी है जिस पर संस्थान अपने आवेदन जमा कर सके।

3 – एकल खिड़की से प्राप्त कॉलेजो के आवेदन 15 दिवस में निस्तारित हों और निस्तारित अंकतालिकायें सीधे एकल खिड़की से कॉलेजों को प्राप्त करायी जायें, समयावधि में अंकतालिका नहीं प्राप्त होने पर पटल प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

29/8/25

Website : www.sfcf.in I Email : sfcf2023@gmail.com I Mob. 8954-89-1289, 9997-70-8995

Scanned with OKEN Scanner

4 – विवि0 में माइग्रेशन जमा होने के बाद भी अंकतालिका निरुद्ध की जाती है आखिर संस्थान माइग्रेशन जमा कराने की प्राप्ति क्यों उपलब्ध कराये ? संसथान ही साबित क्यों करे की उसने माइग्रेशन जमा कराये है। जिस कार्मिक ने माइग्रेशन जमा होने के बाद भी अंकतालिका निरुद्ध की विवि0 उस का कोई उत्तर दायित्व क्यों निर्धारित नहीं करता है क्या केवल छात्र और संस्थान ही दायित्वों के निर्धारण के लिए है। माइग्रेशन को लेकर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाये।

5 – विश्वविद्यालय द्वारा बैक एवं एक्स श्रेणी के छात्रों की अंकतालिकायें डिटेन की जाती हैं। बैक एवं एक्स श्रेणी के समस्त छात्रों की मार्कशीट का रिकॉर्ड विश्वविद्यालय स्वयं अपडेट करे क्योकि छात्र की मुख्य परीक्षा के साथ बैक परीक्षा का रिजल्ट भी विवि0 ही जारी करता है तो कंप्यूटर केंद्र से या गोपनीय से रिकॉर्ड क्यों अपडेट नहीं होते और फिर छात्रों और संस्थानों से कागज मांगे जाते है, जब सभी रिजल्ट विवि0 जारी कर रहा है और परीक्षा फॉर्म भी प्राप्त कर रहा है तो उसको अपडेट करने का दायित्व भी विवि0 का ही है। विवि0 इसमें बदलाव करे और बैक तथा एक्स की मार्कशीट स्वयं अपडेट करते हुए कॉलेजों को सीधे प्राप्त कराये।

6 – विवि0 मार्कशीट के लिए ऑनलाइन पोर्टल संचालित करता है लेकिन उस पर किये जाने वाले आवेदन आखिर क्यों निस्तारित नहीं होते है। छात्रों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाये साथ ही उनके गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण तय अवधि में सुनिश्चित किये जाये।

7 – विवि0 मार्कशीट के आवेदन का ट्रैकिंग सिस्टम बनाये और मार्कशीट आवेदन की स्थिति छात्र/संस्थान ऑनलाइन ट्रैक कर सके। मार्कशीट डाक से अथवा व्यक्तिगत प्राप्त करने का विवरण पोर्टल पर दर्ज हो विवि0 द्वारा व्यवस्था की जाये।

8 – विवि0 का अधिकांश तर्क है की परीक्षा फॉर्म में वांछित दस्तावेज छात्रों द्वारा नहीं लगाए जाते, लेकिन जब परीक्षा विभाग छात्र की अंकतालिका निरुद्ध करता है और उसकी सूचना कंप्यूटर सेंटर को सूची के माध्यम से भेजता है तो वही सूचना कॉलेजो को उस समय देकर इन प्रकरणो का निस्तारण क्यों नहीं कराया जाता है।

अतः आप अवगत हो की केवल पत्र जारी करने से व्यवस्था सही नहीं की जा सकती उसके लिए संस्थानों के साथ मिलकर सही तरीके से योजना को लागू किया जाना अपेक्षित है। आप कृपया उपरोक्त बिन्दुओ के आलोक में यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करे जिससे निरुद्ध अंकतालिकाओं के प्रकरणो का संस्थान एवं विवि0 स्तर से गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण संभव हो सके।

आदर सहित।

प्रतिलिपि :–

1 – माननीय कुलपति जी, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

2 – उप कुलसचिव (परीक्षा), चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ
SFCF
SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

29/8/25

(एड0 नितिन यादव) — अध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0 अनिल शर्मा) — उपाध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह — वरिष्ठ महासचिव

Scanned with OKEN Scanner

SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION (Regd.)

स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संघ

OFF- 36, SDM COURT COLONY, OPP GALI NO 3, SIKANDRABAD, DISTT BULANDSHAHR-203205

E-Mail- sfcf2023@gmail.com Cell- 91+8954891289, +91-9997708995

Ref. No:- 2025/01/SFCF/ 92

Date:- 30.01.2025

ज्ञापन

सेवा में,

कुलसचिव/परीक्षा नियन्त्रक, / प्रति कुलपति जी,

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः— कॉलेजों एवं उनसे सम्बन्धित छात्रों के सम्मुख आ रही समस्याओं एवं उनका वृहद समय से निस्तारण न हो पाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप कृपया अवगत हों कि फैडरेशन द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से छात्रों एवं कॉलेजों की समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा है लेकिन उसमें से अभी भी कुछ बड़ी समस्यायें यथावत बनी हुई हैं, जिससे छात्र एवं संस्थान दोनों परेशान हैं। कृपया अग्रलिखित बिन्दुओं पर फैडरेशन आपसे मांग करती है कि सम्बन्धितों को तत्काल निर्देश जारी कर समाधान कराने का कष्ट करें :—

1. कॉलेजों की डिटेन अंकतालिकाओं के लिये कॉलेजों से सामूहिक रूप से छात्रों के आवेदन एक साथ लिये जायें जिसके लिये एकल खिड़की की व्यवस्था की जाये जहां पर कॉलेज अपने आवेदन जमा कर सकें एवं ऐसे आवेदन 15 दिवस में निस्तारित हों और निस्तारित अंकतालिकायें सीधे एकल खिड़की से कॉलेजों को प्राप्त करायी जायें।

2. एकल खिड़की पर प्राप्त आवेदन तय समय में निस्तारित नहीं होने पर सम्बन्धित पटल प्रभारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3. विश्वविद्यालय द्वारा बैक एवं एक्स श्रेणी के छात्रों की अंकतालिकायें डिटेन की जाती हैं जिसके बाद छात्रों को विश्वविद्यालय रिकॉर्ड लेकर बुलाया जाता है और अपडेट करके मार्कशीट प्रदान करने की

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ ★ SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION ★ SFCF

Scanned with OKEN Scanner

प्रक्रिया है। इसमें बदलाव किया जाये। बैक एवं एक्स श्रेणी के समस्त छात्रों की मार्कशीट का रिकॉर्ड विश्वविद्यालय अपडेट करे और कॉलेजों को सीधे प्राप्त कराये।

4. NEP में लगभग 15 हजार छात्रों की अंकतालिकायें बैक एवं एक्स श्रेणी में डिटेन हैं। सभी छात्रों की अंकतालिकायें विश्वविद्यालय अपडेट करे और कॉलेजों को उपलब्ध कराये।

5. परीक्षा विभाग द्वारा मार्कशीट डिटेन किये जाने का कारण कॉलेजों को नहीं बताया जाता, पूर्व में यह व्यवस्था थी लेकिन लगभग 04 वर्ष से डिटेन लिस्ट कॉलेजों को नहीं दी जाती, जिससे मनमानी होती है। मार्कशीट रोके जाने का कारण विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित कॉलेजों को अवश्य उपलब्ध कराया जाये जिससे ऐसे प्रकरणों पर कॉलेज कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय से निस्तारण करा सके।

6. विवि0 ने मार्कशीट के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया उस पोर्टल पर आवेदन होने पर उसके बाद लॉगिन ही नहीं होता। इसके बाद आवेदन हो जाये तो महीने तक वो आवेदन केवल ऑनलाइन अंडर प्रोसेस ही दिखाता है अंत में छात्र को विवि0 में संपर्क करना होता है और जादुई व्यवस्था से उसका काम हो जाता है ऐसी में इस पोर्टल की व्यवस्था को बंद किया जाना भी विवि0 की आर्थिक हित में होगा क्योकि जिस उद्देश्य से इसको लागू किया गया वो उस पर खरा नहीं उतर रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर मार्कशीट अपडेट किये जाने प्रकरणो में 100 रु पोस्टल खर्च ऑनलाइन लिया जाता है लेकिन मार्कशीट केवल ऑनलाइन प्रोसेस ही दिखती है ऐसे में इस तरह की प्रणाली विकसित करने का कोई लाभ नहीं है।

7. विश्वविद्यालय में परीक्षा फार्म के साथ माइग्रेशन मूल रूप में जमा होने के बाद भी अंकतालिकायें डिटेन की जाती हैं, छात्र एवं कॉलेज विश्वविद्यालय में परेशान होते हैं और कई बार तो माइग्रेशन की प्राप्ति को ही यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति द्वारा प्राप्ति दी गयी है अब वह विभाग में नहीं है इसलिये माइग्रेशन का पता नहीं है। इस प्रक्रिया पर अविलम्ब रोक लगायी जाये और जिन छात्रों के मूल माइग्रेशन कॉलेज द्वारा जमा किये जाते हैं उनकी अंकतालिकायें न रोकी जायें और अगर इसके बाद भी नियमाविरूद्ध कोई अंकतालिका रोकी जाती है तो सम्बन्धित पटल प्रभारी पर अविलम्ब कठोर कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाये।

8. विश्वविद्यालय में सम्बन्धता के लिये 03 वर्ष के परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जो कि सम्बन्धित पटल प्रभारियों द्वारा समय से जारी नहीं होता और कॉलेज इससे प्रभावित होते हैं। इसके लिये व्यवस्था बनायी जाये जिससे एक सप्ताह में ऐसे प्रकरणों का निस्तारण हो।

9. प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बिल विश्वविद्यालय में गोपनीय विभाग से सम्बन्धित विभागों को नहीं भेजे जाते जिससे 10 वर्ष से भी अधिक के बिल लम्बित हैं, इनका भुगतान कराये जाने के लिये समय सीमा निर्धारित की जाये एवं विभाग में प्रयोगात्मक परीक्षा के बिल जमा होने के 15 दिवस में सम्बन्धित विभाग को अग्रिम कार्यवाही को अग्रसारित किये जायें।

10. विवि0 के गोपनीय विभाग में पटल पर एक दशक से जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो आज तक वही है। विवि0 के इस विभाग में शायद स्थानांतरण नीति लागू ही नहीं होती है। दशकों से इस

SFCF
SELF FINANCE ... FEDERATION

Scanned with OKEN Scanner

विभाग में जमे कर्मचारी व्यवस्था को इस रूप में आखिर क्यों नहीं लेकर आ पाए की छात्र विवि0 आने को विवस ही नहीं हो। विवि0 की इस वयवस्था से आज भी हजारों छात्र परेशान है। इस व्यवस्था में अप्रत्यक्ष हितो को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

आप इस विषय में गंभीर होकर इस समस्या के स्थाई निदान को खोजने का प्रयास कॉलेजों के माध्यम से करेंगी ऐसी हमे आशा है। कॉलेजो को साथ लेकर इस समस्या को शीघ्रता और सुलभता से हल भी किया जा सकता है लेकिन उसके लिए एक संकल्प की और व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है।

"फेडरेशन" आपसे छात्र–कॉलेजों के हित में अनुरोध करती है की समस्याओ के समाधान के लिए व्यापक पहल करते हुए इस प्रकरण पर सार्थक निर्णय यथाशीघ्र लागू कराने का कष्ट करे।

आदर सहित।

30/11/25

(एड0 नितिन यादव)
राष्ट्रीय अध्यक्ष

(डॉ0 अनिल शर्मा)
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

(डॉ0 राजीव गुप्ता)
राष्ट्रीय महासचिव

स्वावित्तपोषित महाविद्यालय संघ
SFCF
SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

Scanned with OKEN Scanner